न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 32/2018

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
लूणाराम पुत्र पन्नुराम जाति		राजस्थान सरकार जरिये
मेघवाल निवासी रतरेड़ी कला		जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर		

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.02.2018 जो सरकार बनाम लूणाराम के प्रकरण सं. 232/2017 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री अमित धनदे, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26/02/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 232/2017 सरकार बनाम लूणाराम मे पारित निर्णय दिनांक 07.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रवर्तन निरीक्षक शिव श्री सवाईराम द्वारा दिनांक 15.11.2017 को अपीलार्थी लूणाराम की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई तथा अपीलार्थी से फोन पर सम्पर्क करने पर कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया गया। मौके पर दुकान पर मूल्य एवं स्टॉक का प्रदर्शन किया हुआ नही होने एवं उपस्थित मौतबिरान के अनुसार लम्बे समय

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

से राशन वितरण नही किये जाने के तथ्य प्रकट होने पर प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 21.11.2017 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को उपस्थित होकर कारण प्रकट करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2018 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.06.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा करने एवं अपील अन्दर मयाद सम्मिलित करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय जारी कर अपीलार्थी के नाम रतरेड़ी कला हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने मे विधि एवं तथ्यात्मक भूल की गई है, जिससे उक्त आदेश खारिज योग्य है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जांच मे अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान से रसद सामग्री वितरण मे अनियमितता बाबत ग्रामवासियों से किसी प्रकार की कोई शिकायत नही थी तथा प्राधिकार पत्र जारी करने से लगातार उचित मूल्य दुकानदार के रूप मे कार्य सन्तोषप्रद रहा है। अपीलार्थी द्वारा नियमित रूप

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

से उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किया गया है, जिसका स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर इत्यादि पूर्ण है। उचित मूल्य दुकानदार के रूप मे अपीलार्थी की सेवा मे कभी कोई कमी नही रही है तथा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मे पाया गया कि मौके पर वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान बन्द पाई गई तथा अपीलार्थी से सम्पर्क करने पर सन्तोषजनक जवाब नही दिया गया। अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे उसके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश दिनांक 07.02.2018 को पारित किया गया है जिसकी जानकारी होने से अन्दर मयाद यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान उभोक्ता पखवाड़े मे वक्त निरीक्षण बंद पाई गई तथा विभागीय निर्देशों एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं अपीलार्थी की ओर से पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नही किये जाने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण मे पाई गई गम्भीर अनियमितताऐं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की भार्त सं. 9,11,14 एव 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार कोई विधि या तथ्य की भूल नही की गई है तथा इस आदेश के विरूद्ध यह प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार के अभिकथनों मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का उपभोक्ता पखवाड़ें के अन्तर्गत विभागीय अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.11.2017 को निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान बन्द पाये जाने एवं मूल्य एवं स्टॉक का प्रदर्शन नही होने की मुख्य अनियमितता के आधार पर प्राधिकार पत्र निलम्बित कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि मे समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई जवाब नही दिया तथा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित मयाद अवधि समाप्त होने के बाद दिनांक 05.06.2018 को यह कालातीत अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब के सम्बन्ध मे कोई ठोस कारण प्रकट नही किया गया है बल्कि अत्यन्त ही साधारण रूप मे उल्लेख किया है कि उसे मौखिक रूप से कार्यालय से जानकारी होने पर सूचना का अधिकार के तहत प्रतिलिपि प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश के बारे मे ज्ञात हुआ है। इसके उलट जब अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 21.11.2017 को निलम्बित कर उचित मूल्य दुकान का चार्ज अन्य प्राधिकार पत्र धारी को दिया गया था तब उसे अपीलाधीन कार्यवाही की जानकारी भली–भाँति रूप से हो गई थी। इसके बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब एवं पैरवी नही की गई तथा अपीलाधीन आदेश जारी होने के चार माह पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है। जहां तक प्रकरण मे अपीलार्थी पर अध्यारोपित आरोप का प्रश्न है तो विभागीय निर्देशानुसार अपीलार्थी को उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान आवश्यक रूप से ही उचित मूल्य दुकान को सुचारू रूप से संचालित किया जाना चाहिए था। इस आरोप के बाबत अपीलार्थी द्वारा न तो अधिनस्थ कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया और न ही इस अपील मे कोई तथ्य प्रकट किया गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मे एकपक्षीय आदेश अपीलार्थी की

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनुपस्थिति मे पारित किया गया है किन्तु प्रकट तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को अपीलाधीन कार्यवाही की यथा समय जानकारी थी। ऐसे मे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे उल्लेखित परिस्थितियों के आधार पर इस अपील के प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नही होने से यह अपील अन्दर मयाद शुमार किया जाना विधि अनुकूल उचित नही है। इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेशण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम मयाद बाहर होने के साथ ही मेरीट पर भी प्रबल नही होकर सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 232/2017 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. आदेश आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर